वक़्फ प्रबन्धन के विरुद्ध शिकायत

वक़्फ प्रबन्धन के विरुद्ध शिकायत

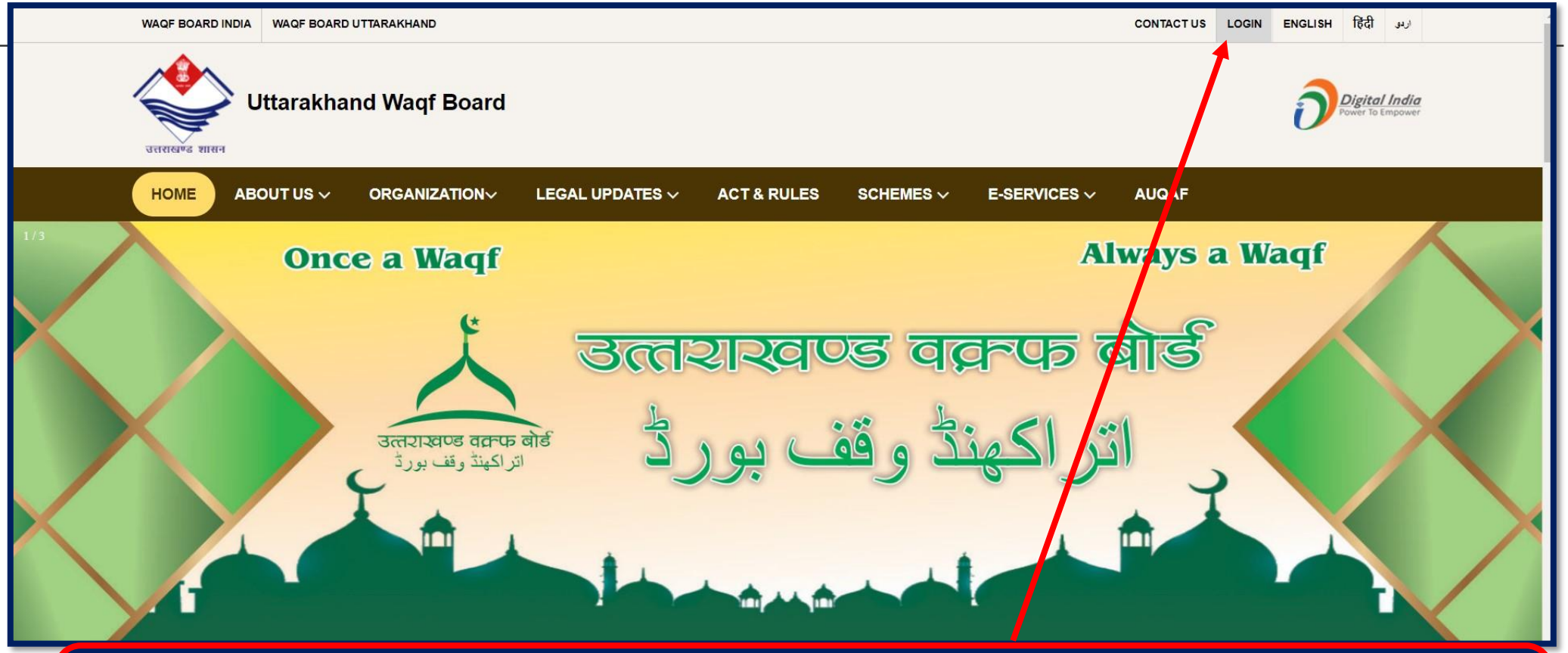

सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट **http://ukwms.org** पर जाकर **Login** लिंक की सहायता से वेब एप्प पर जाएं। इसके अतिरिक्त आप **E-Services** मैन्यू के ज़रिए भी वेबएप्प पर जा सकते हैं।

वक़्फ प्रबन्धन के विरुद्ध शिकायत

यदि आपके पास लॉगइन हेतु यूज़रआईडी और पासवर्ड नहीं है तो **New User** बटन की सहायता से सर्वप्रथम अपना अकाउन्ट बनाएं, वहां से आपको यूज़रआईडी और पासवर्ड मिलेगा। यूज़रआईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के पश्चात् दिये गए कॉलमों में विवरण भरकर **Login** बटन पर क्लिक करें।

वक़्फ प्रबन्धन के विरुद्ध शिकायत

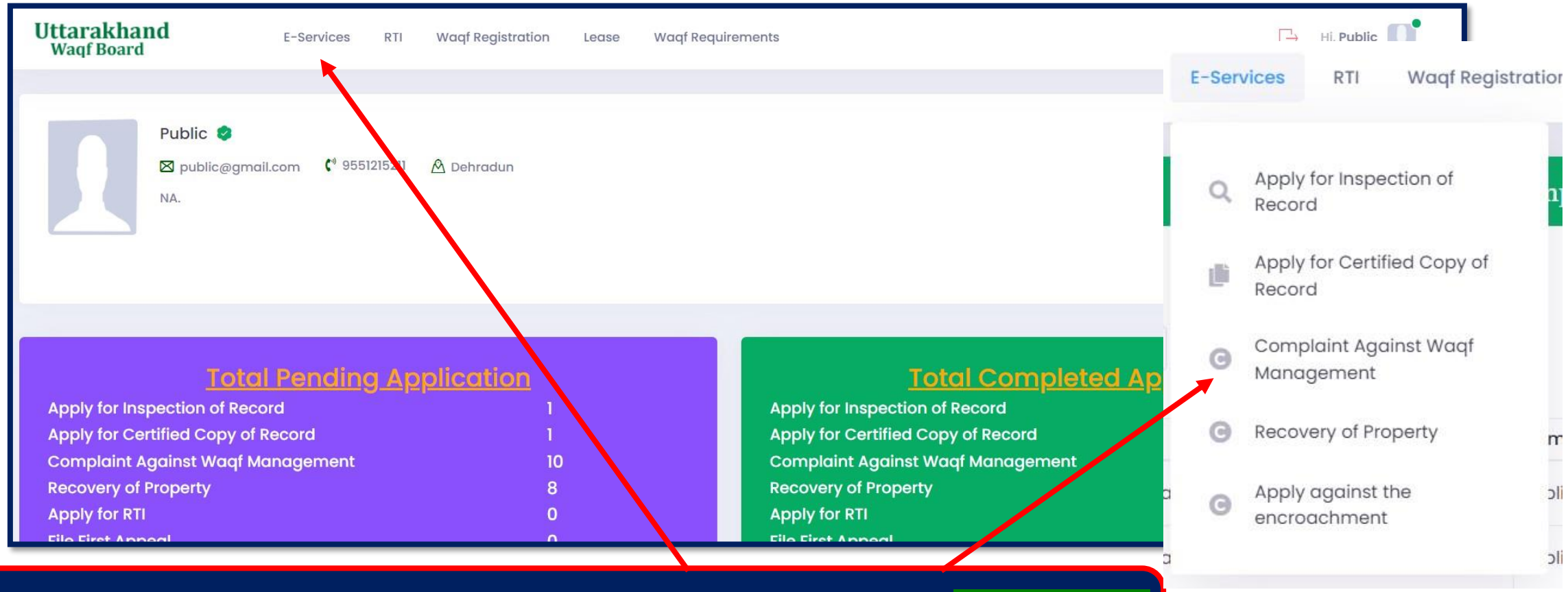

लॉगइन करते ही आपको उपरोक्त डैशबोर्ड दिखाई देगा। नकल के आवेदन हेतु आप **E-Services** मैन्यू में जाकर **Complaint Against Waqf Management** पर क्लिक करेंगें।

वक़्फ प्रबन्धन के विरुद्ध शिकायत

आवेदन करने हेतु **+ New Complaint** बटन पर क्लिक करें।

वक़्फ प्रबन्धन के विरुद्ध शिकायत

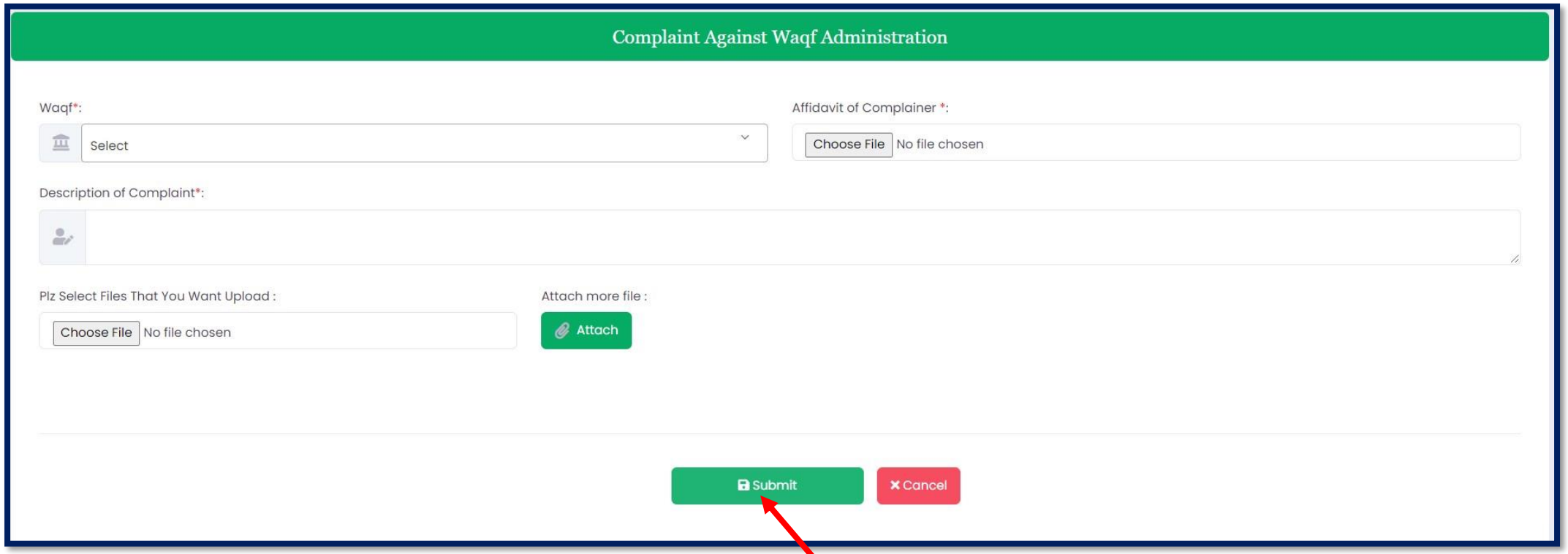

बटन पर क्लिक करते ही आपके डैशबोर्ड पर **Complaint Against Waqf Adminsitration** नाम से एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में दी गयी सामान्य जानकारियां जैसे सम्बन्धित वक़्फ को चुनकर, शपथ–पत्र को अपलोड़ करें, उसके बाद के कॉलम में अपनी सम्पूर्ण शिकायत लिखें आप इस फॉर्म में अपनी शिकायत से सम्बन्धित दस्तावेज़ भी अपलोड कर सकते हैं। आवेदन को जमा करने हेतु **Submit** बटन पर क्लिक करें।

वक़्फ प्रबन्धन के विरुद्ध शिकायत

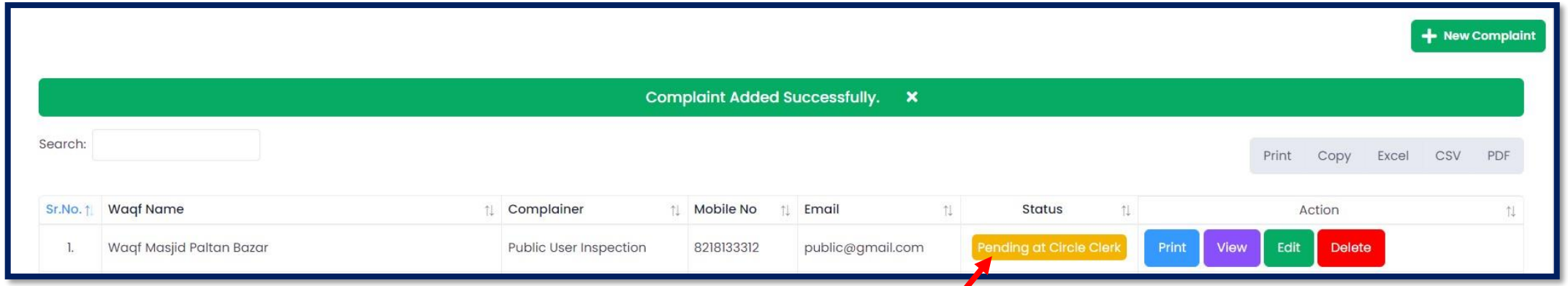

Submit बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन बोर्ड कार्यालय के सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित हो जाएगा। आप यहां से अपने आवेदन का स्टेटस जान सकते हैं।

समाप्त